विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

विधान सभा भवन, डिफेन्स कालोनी रोड़,
देहरादून – 248001

वेबसाइट–www.ukvidhansabha.uk.gov.in
E-mail: secretary-vs-uk@gov.in
फोन नं० 0135.2666444 फैक्स नं0 0135 2666680

उत्तराखण्ड विधान सभा

विज्ञापन संख्याः 01/2021 दिनांकः 01–10–2021

चयन हेतु विज्ञापन

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड में समूह 'ख' एवं 'ग' के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

नोटः– रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	01 अक्टूबर, 2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	01 अक्टूबर, 2021
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	30 अक्टूबर, 2021
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	01 नवम्बर, 2021
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	बाद में जारी किया जायेगा।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड में समूह 'ख' एवं 'ग' के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा आवश्यक अर्हतानुसार कौशल परीक्षा आयोजित करायी जायेगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में अनुमानित समय एवं लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS अथवा ई–मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

नोटः–

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभॉति अवश्य पढ़ लें। स्क्रूटिनी के पश्चात अयोग्य पाए आवेदनों को निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इन आवेदनों का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

1. पदनाम– प्रतिवेदक
   पद कोड– 001/2021 कुल पद– 03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
प्रतिवेदक	03	02	0	01	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 15600– रू0 39100 (ग्रेड वेतन 5400) लेवल–10

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

2– हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

2. पदनाम– अपर निजी सचिव

पद कोड– 002/2021 **कुल पद– 05**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
अपर निजी सचिव	05	03 01 (महिला) कुल 04	0	01	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4800) लेवल–08

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

2– हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

वरीयता : अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जायेगी।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

3. **पदनाम– समीक्षा अधिकारी**
पद कोड– 003/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
समीक्षा अधिकारी	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4800) लेवल–08

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

वरीयता : विधि स्नातक की उपाधि।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

4. **पदनाम– समीक्षा अधिकारी (लेखा)**
पद कोड– 004/2021 **कुल पद– 02**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
समीक्षा अधिकारी (लेखा)	02	01	0	01	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4800) लेवल–08

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि।

वरीयता : कम्प्यूटर एवं टेली एकाउन्ट का ज्ञान।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

5. पदनाम– सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)

पद कोड– 005/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं संदर्भ)	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4600) लेवल–07

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि।

वरीयता–किसी पुस्तकालय अथवा विधान मण्डल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 03 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य या विधि स्नातक की उपाधि।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

6. पदनाम– व्यस्थापक

पद कोड– 006/2021 **कुल पद– 02**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
व्यस्थापक	02	01	0	01	0	0

(ii) **वेतनमानः–** रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4600) लेवल–07

(iii) **आयु सीमाः–** 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) **शैक्षिक अर्हताः–**

1– विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

वरीयता : किसी ख्याति प्राप्त संस्थान में होटल मैनेजमेंट का 03 वर्ष का अनुभव।

(v) **लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–**

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

7. **पदनाम– लेखाकार**
पद कोड– 007/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
लेखाकार	01	01	0	0	0	0

(ii) **वेतनमानः–** रू0 9300 – रू0 34800 (ग्रेड वेतन 4200) लेवल–06

(iii) **आयु सीमाः–** 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) **शैक्षिक अर्हताः–**

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि।

वरीयता : कम्प्यूटर एवं टेली एकाउन्ट का ज्ञान।

(v) **लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–**

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधान सभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

8. **पदनाम– सहायक लेखाकार**
पद कोड– 008/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत

सहायक लेखाकार	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2800) लेवल–05

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि।

वरीयता : कम्प्यूटर एवं टेली एकाउन्ट का ज्ञान।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

9. पदनाम– सहायक फोरमैन

पद कोड– 09/2021 **कुल पद– 02**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
सहायक फोरमैन	02	01	0	01	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200– रू0 20200 ग्रेड पे 2800 लेवल–05

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैकेनिकल/सिविल/इलैक्ट्रोनिक्स/इलैक्ट्रिशियन/फिटर/कम्प्यूटर/मशीनिष्ट संबंधी ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

10. पदनाम– सूचीकार

पद कोड– 010/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
सूचीकार	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2800) लेवल–05

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

2– पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

11. पदनाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर

पद कोड– 011/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2800) लेवल–05

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वेले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

12. पदनाम– कम्प्यूटर सहायक

पद कोड– 012/2021 **कुल पद– 05**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
कम्पयूटर सहायक	04	03	0	01	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2400) लेवल–04

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति एवं एम0एस0 ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वेले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

13. पदनाम– वाहन चालक

पद कोड– 013/2021 **कुल पद– 01**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
वाहन चालक	01	01	0	0	0	0

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2000) लेवल–03

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण।

2– हल्के, भारी वाहन चलाने का 05 वर्ष का अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाईसेंस।

(v) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

14. पदनाम– **रक्षक (पुरुष)/रक्षक (महिला)**

पद कोड– 014/2021 **कुल पद– 07**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :–

पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत	अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत
रक्षक(पुरूष)	05	04	0	01	0	0
रक्षक(महिला)	02	01	0	01	0	0
	कुल 07					

(ii) वेतनमानः– रू0 5200 – रू0 20200 (ग्रेड वेतन 2000) लेवल–03

(iii) आयु सीमाः– 18 वर्ष से 42 वर्ष तक

(iv) शैक्षिक अर्हताः–

1– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हाईस्कूल अथवा समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

वरीयता : ऐसे व्यक्ति को जिसने सेना, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, पी0ए0स, प्रांतीय रक्षक बल, एन0सी0सी0, टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड्स में कार्य करने का अनुभव हो।

2– शारीरिक अर्हता : विधान सभा रक्षक (पुरुष) पद हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :–

विधान सभा, रक्षक (पुरूष)

(i)	सीने की माप	बिना फुलाये	फुलाने पर
(अ)	सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनु0 जाति के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 से०मी०	83.8 से०मी०
(आ)	पर्वतीय मूल/अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए	76.3 से०मी०	81.3 से०मी०

नोट : सीने को कम से कम 5 से०मी० फुलाना आवश्यक है।

(ii)	**ऊँचाई :**	
(अ)	सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनु0 जाति के अभ्यर्थियों के लिए	167.7 से०मी०
(आ)	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	162.6 से०मी०
(इ)	अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए	160.0 से०मी०

विधान सभा, रक्षक (महिला)

(एक)	**ऊँचाई :**	
(अ)	सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनु0 जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	152.0 से०मी०
(आ)	पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	147.0 से०मी०
(इ)	पर्वतीय मूल के अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	147.0 से०मी०
(दो)	**वजन** : न्यूनतम	45 किलोग्राम

(v) <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–</u>

चयन के लिए 100 अंकों की 02 घन्टे की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

16. <u>लिखित प्रतियोगी परीक्षा –</u>

(i) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) डुप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।

(v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(vi) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से तकनीकी अर्हता वाले पदो के लिये तकनीकी अर्हता संबंधी परीक्षा पृथक से आयोजित की जोयगी जिसके लिये दिशा–निर्देश विधान सभा की बैबसाइट पर पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

17. <u>आयु :–</u>

आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह–'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आयु में प्रदान की गई छूट अनुमन्य होगी।

18. <u>अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–</u>

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19. <u>राष्ट्रीयता</u> :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

20. चरित्र:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

21. वैवाहिक प्रास्थितिः–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

22. शारीरिक स्वस्थता:–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

23. आरक्षण:–

1. **ऊर्ध्व आरक्षण**– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. **क्षैतिज आरक्षण**– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/

शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नही है।

(i)"**भूतपूर्व सैनिक**" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–**(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– **(एक)** निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(दो)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और **(तीन)** शौर्य पुरस्कार पाने वाले।**(चार)** जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>नोटः–</u> **1**– भारत सरकार के O.M. N0. 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

2– भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित**" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) **(तीन)** पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

नोटः–

1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में राज्य सरकार से प्राप्त रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के

आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा अनाथ बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

24. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रियाः–

1. आवेदकों द्वारा विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट **www.ukvidhansabha.uk.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नही किया जाएगा।
2. आवेदकों को पहले विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर जाना होगा और सीधी भर्ती द्वारा चयन सम्बन्धी दिये गये लिंक पर क्लिक कर भर्ती परीक्षा 2021 के वेब पोर्टल पर जा कर अपना Registration करना होगा। इस पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीकरण, आवेदन फार्म को भरने तथा शुल्क अदायगी आदि के लिंक होंगे जिनका प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने हेतु किया जा सकता है।
3. उम्मीदवारों को पंजीकरण करने के लिए Valid ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। परीक्षा सम्बन्धी सभी सूचनायें यदि कोई हों, उक्त मेल आईडी अथवा मोबाईल नं0 पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।
4. उम्मीदवार को आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
   - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
   - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
6. पंजीकृत मोबाइल या आवेदन संख्या के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं।
7. उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।
8. उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नही किया गया है।
9. निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता हैः–
   - **नेटबैंकिंग**
   - **डेबिट कार्ड**
   - **क्रेडिट कार्ड**

25. शुल्कः–

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/Debit/Credit Card) के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क विधान सभा, उत्तराखण्ड के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	975.00
02	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	875.00
03	दिव्यांग अभ्यर्थी	कोई परीक्षा शुक्ल नहीं। केवल आनलाईन प्रकिया शुल्क रूपये 150.00 देय होगा।
04	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	क्रमांक संख्या—1 से 2 से उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
05	महिला	—तदैव—
06	भूतपूर्व सैनिक	—तदैव—

नोटः— निर्धारित तिथि तक शुल्क विधान सभा, उत्तराखण्ड के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जायेगा तथा किसी प्रकार की अयोग्यता की दशा में आवेदन शुल्क वापीस नहीं किया जायेगा।

26. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़ेः—

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन आवेदन के समय कोई प्रमाण पत्र एवं सलग्नक नहीं लगाया जाना है। अतः प्रमाण पत्रों/संलग्नकों की सन्नरीक्षा आनलाइन फार्म की आवेदन के समय न होकर अन्तिम चयन के समय होगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढें। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो आवेदन शुल्क जमा करने से पहले आवेदन पत्र में संशोधन कर लें। एक बार आवेदन शुल्क जमा हो जाने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन संभव नही है। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेवायोजन पंजीकरण धारित करना आवश्यक है।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः—79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी नही है, वे किसी भी प्रकार के आरक्षण के लाभ हेतु अनुमन्य नही होंगें वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वार के रूप में मान्य होगें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Final Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में विधान सभा, उत्तराखण्ड से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को विधान सभा, उत्तराखण्ड की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी विधान सभा, उत्तराखण्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। विधान सभा, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(11) विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(13) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(14) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः– परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(18) परीक्षा भवन में आचरणः– कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु विधान सभा, उत्तराखण्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो एसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।

(19) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हे विधान सभा, उत्तराखण्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरूद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

(21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि विधान सभा, उत्तराखण्ड को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विधान सभा, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(23) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंको से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

(24) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी विधान सभा, उत्तराखण्ड की वेबसाइट **www.ukvidhansabha.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(25) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय–

- आ0क0व0– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- Wo- महिला अभ्यर्थी
- DFF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
- Ex- भूतपूर्व सैनिक
- PH- दिव्यांग
- Orphan- अनाथ बच्चे

(27) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभॉति देखकर आवेदन करें। आवेदन–पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

01/10/2024

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)